भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. 3552

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/2013 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**होम-स्टे योजना का कार्यान्वयन**

**3552. श्री लुम्बाराम चौधरीः**

**श्री अरुण गोविलः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव कराने और किफायती दरों पर सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक आवास उपलब्ध कराने के लिए होम-स्टे योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्तराखंड होमस्टे योजना से अवगत है जो स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को पूरे देश में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर माउंट आबू सहित राजस्थान में लागू करने का है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): जी हाँ। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के विभिन्न वर्गों के लिए सेवाओं और अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु, पर्यटन मंत्रालय, अपनी स्वैच्छिक योजना "अतुल्य भारत होमस्टे प्रतिष्ठान" के अंतर्गत, देश में होमस्टे सुविधाओं के पूर्णतः संचालित कमरों का वर्गीकरण करता है। मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर होमस्टे को दो श्रेणियों अर्थात- स्वर्ण श्रेणी और रजत श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

सरकार ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंज़ूरी दी है और 1000 होमस्टे का विकास इस योजना का एक हिस्सा है। इसमें कोई भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 01.07.2025 को

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता के अध्यधीन 5-6 गाँवों के समूह में प्रति गाँव 5-10 होमस्टे के कार्यान्वयन के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश भर में होमस्टे की स्थापना में सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए 2025-26 के बजट घोषणा में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण के संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण की भी घोषणा की है।

(ग) और (घ): जी हाँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना और अतिथि उत्तराखंड गृह आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड में होमस्टे सुविधाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये योजनाएँ केवल उत्तराखंड राज्य के लिए हैं, हालाँकि, अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्र भी अपने क्षेत्राधिकार में समान या समकक्ष योजनाएँ लागू कर रहे हैं।

राजस्थान राज्य सरकार माउंट आबू सहित संपूर्ण राजस्थान राज्य में संशोधित और सरलीकृत पेइंग गेस्ट हाउस (होमस्टे) योजना 2021 के तहत होमस्टे के पंजीकरण और प्रमाणन को लागू करती है।

*******